

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
मुख्यालय

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110016

website: www.kvsangathan.nic.in

E-mail : jc.pers@kvs.gov.in

दूरभाष /Tel : 91-11-26858565

F.11085-15/2017/KVS HQ/Admn-I/CCPU/773-75

Date : 27-06-2025

उपायुक्त/निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय और
आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय : वर्ष 2024-25 से केविसं समागम (पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

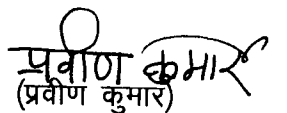
उपरोक्त विषयक लेख है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09-06-2025 का अवलोकन करें । इस संबंध में यह कहना है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय विद्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2024-25 से केविसं समागम (पोर्टल) के माध्यम से वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में स्व:मूल्यांकन/रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है ।

यह भी कहना है कि वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) केविसं समागम (पोर्टल) का निरीक्षण करने पर पाया गया है कि मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय विद्यालयों में पदस्थ कुछ अधिकारियों/ कर्मचारियों ने अपना स्व:मूल्यांकन का कार्य पूर्ण नहीं किया है जिससे रिपोर्टिंग अधिकारी अपना कार्य समय से नहीं कर पा रहे हैं ।

अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से पुनः निवेदन किया जाता है कि वे अपना स्व:मूल्यांकन का कार्य दिनांक 30-06-2025 तक पूर्ण करें इसके बाद समागम पोर्टल पर सिर्फ रिपोर्टिंग का कार्य हो सकेगा । जिस भी अधिकारी/कर्मचारी ने दी गई दिनांक तक अपना स्व:मूल्यांकन का कार्य नहीं कर पायेगे उनका स्व:मूल्यांकन रिक्त की स्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी के पास चला जायेगा, इस संबंध में रिपोर्टिंग अधिकारी से भी अनुरोध किया जाता है कि जिस भी अधिकारी /कर्मचारी का स्व:मूल्यांकन प्राप्त हो रहा है उस पर तुरंत रिपोर्टिंग का कार्य समय से पूर्ण करें तथा पुनरीक्षण अधिकारी से भी अनुरोध है कि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा रिपोर्ट करने के बाद आता है तो आप तुरंत तय दिनांक को न देखते हुए पुनरीक्षण का कार्य तुरंत करना शुरू कर सकते हैं ।

सभी उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि अपने अधीन विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य महोदय/महोदया को निर्देशित करें की स्व:मूल्यांकन/रिपोर्टिंग का कार्य विद्यालय स्तर पर जल्द से जल्द पूरा करने का श्रम करें ।

भवदीय


(प्रवीण कुमार)

सहायक आयुक्त (प्रशासन)

1. सहायक आयुक्त (आई.टी.सेल)
केविसं (मु0) को सूचनार्थ ।
2. सभी अधिकारी गण/कर्मचारी गण, केविसं (मु0) को सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि

आयुक्त के निजी सचिव, केविसं (मु0) को सूचनार्थ ।